



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2742]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2016/अग्रहायण 2, 1938

No. 2742]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2016/AGRAHAYANA 2, 1938

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2016

विषय: आईएस 16333 (भाग-3) के अनुसार मोबाइल फोन के लिए भारतीय भाषा समर्थन अनिवार्य बनाना ।

का.आ. 3509(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 10 (1) (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 13 के खण्ड (च क) के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा आईएस 16333 (भाग-3) के अनुसार मोबाइल फोन के लिए भारतीय भाषा समर्थन को “इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012” की अनुसूची में शामिल करती है ।

2. पैरा 1(2) को छोड़कर “इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण आवश्यकताएं) आदेश, 2012” के प्रावधान इस आदेश के आधार पर 1 जुलाई, 2017 से उपरोक्त समावेशन के लिए लागू होंगे ।

[फा. सं. 8(81)2015-आईपीएचडब्ल्यू]

राजीव बंसल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: प्रधान आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 के का.आ. संख्या 2357(अ) में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसमें दिनांक, 5 जुलाई, 2013 को का.आ 2034(अ), 04 अक्टूबर, 2013 को का.आ 3022(अ), 13 नवम्बर, 2014 को का.आ. 2905(अ), 03 फरवरी, 2016 को का.आ. 345(अ) और 10 फरवरी, 2016 को का.आ. 638(अ) के द्वारा संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**ORDER**

New Delhi, the 24th October, 2016

SUBJECT: Mandating Indian Language Support for Mobile Phones as per IS 16333 (Part 3).

S.O. 3509(E).—In exercise of the power conferred by clause 10(1)(p) of Bureau of Indian Standard Act, 1986 (63 of 1986) and in pursuance of clause (fa) of the rule 13 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Central Government, hereby includes the Indian language support for mobile phone as per IS 16333 (Part-3) to the Schedule of “Electronics and Information Technology Goods (Requirement for Compulsory Registration) Order, 2012”.

2. The provisions of “Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012” except paragraph 1(2), shall apply for the aforesaid inclusion by virtue of this Order w.e.f. 1st July 2017.

[F. No. 8(81)2015-IPHW]

RAJIV BANSAL, Jt. Secy.

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. number 2357(E), dated 3rd October, 2012 and subsequently amended vide S.O. 2034(E) dated 5th July, 2013, S.O. 3022(E) dated 4th Oct 2013, S.O. 2905(E) dated 13th Nov 2014, S.O. 345(E) dated 3rd Feb 2016 and S.O. 638(E) dated 10th Feb 2016.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1923]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 7, 2017/आषाढ 16, 1939

No. 1923]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 7, 2017/ ASADHA 16, 1939

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 जून, 2017

विषय: आईएस 16333 (भाग-3):2016 - मोबाइल फ़ोनों के लिए भारतीय भाषा सपोर्ट को अनिवार्य करने हेतु तारीख का बढ़ाया जाना।

का.आ. 2159(अ).— जबकि भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईएस 16333 (भाग-3) के अनुसार मोबाइल फ़ोनों के लिए भारतीय भाषा सपोर्ट को अनिवार्य करने हेतु आदेश जारी किया है, और जबकि आदेश के अनुपालन संबंधी कुछ समस्याएं सामने आई हैं, और जबकि इन समस्याओं का समाधान कराने और आदेश के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए उद्योग को मदद करने के लिए निम्नलिखित अधिसूचना को आदेश के क्रम में जारी किया जाता है।

2. तारीख का विस्तार :

उपरोक्त आदेश के प्रभाव में आने की तिथि को 1 अक्टूबर, 2017 तक विस्तारित माना जाए।

नोट: प्रधान आदेश दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 के का.आ. संख्या 2357(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और बाद में इसे दिनांक 5 जुलाई, 2013 के का.आ. संख्या 2034(अ) के जरिए, दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 के का.आ. 3022(अ) के जरिए, दिनांक 13 नवम्बर, 2014 के का.आ. 2905(अ) के जरिए दिनांक 3 फरवरी, 2016 के का.आ. 345(अ) के जरिए, दिनांक 10 फरवरी, 2016 के का.आ. 638(अ) के जरिए और दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 के का.आ. 3509(अ) के जरिए संशोधित किया गया।

[फा. सं. 8(81)2015-आईपीएचडब्ल्यू]

संजय कुमार राकेश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**ORDER**

New Delhi, the 29th June, 2017

Subject: Extension in date for mandating IS 16333 (Part 3): 2016 – Indian Language Support for Mobile Phones

S.O. 2159(E).—Whereas Government of India, MeitY has issued the Order for mandating Indian Language Support for Mobile Phones as per IS 16333 (Part 3), and whereas certain issues have arisen with regard to compliance to the Order, and whereas to address these issues and to facilitate the industry for smooth implementation of the Order, the following notification is issued in continuation of the Order.


2. Extension in date:

The date of coming into effect of the aforesaid Order stands extended to 1st October, 2017.

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O number 2357(E), dated 3rd October, 2012 and subsequently amended vide S.O. 2034(E) dated 5th July, 2013, S.O 3022 (E) dated 4th October, 2013, S.O. 2905(E) dated 13th November, 2014, S.O. 345 (E) dated 3rd February, 2016, S.O 638(E) dated 10th February, 2016 and S.O. 3509(E) dated 24th October, 2016.

[F. No. 8 (81)2015-IPHW]

SANJAY KUMAR RAKESH, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2983]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 24, 2017/कार्तिक 2, 1939

No. 2983]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 24, 2017/KARTIKA 2, 1939

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2017

विषय : आईएस 16333 (भाग 3): 2016 मोबाइल फोन के लिए भारतीय भाषा सहयोग अनिवार्य करने के लिए तारीख में विस्तार

का.आ. 3404(अ).—जबकि भारत सरकार ने, आईएस 16333 (भाग 3): 2016 के अनुसार मोबाइल फोन के लिए भारतीय भाषा सहयोग अनिवार्य करने के लिए आदेश जारी किया है, और जबकि मोबाइल हैंडसेट निर्माताओं ने आदेश के अनुपालन के संबंध में चिंताएं व्यक्त की हैं, और जबकि आदेश के निर्विघ्न कार्यान्वयन के लिए उद्योग को सहायता प्रदान करने और इन मुद्दों का समाधान करने के लिए निम्नलिखित अधिसूचना को आदेश की निरंतरता में जारी किया जाता है।

2. तारीख में विस्तार

उपर्युक्त आदेश के प्रभाव में आने की तारीख 1 फरवरी, 2018 तक बढ़ा दी गई है।

नोट: प्रधान आदेश को भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 3 अक्तूबर, 2012 के का.आ. संख्या 2357(अ) के जरिए प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसमें दिनांक 5 जुलाई, 2013 के का.आ. 2034(अ), दिनांक 4 अक्तूबर, 2013 का.आ. 3022(अ), 13 नवम्बर, 2014 के का.आ. 2905(अ), दिनांक 3 फरवरी, 2016 के का.आ. 345(अ), दिनांक 10 फरवरी, 2016 के का.आ. 638(अ) और दिनांक 24 अक्तूबर, 2016 के का.आ. 3509(अ) के द्वारा संशोधन किया गया था।

[फा. सं. 8(81)/2015-आईपीएचडब्ल्यू]

संजय कुमार राकेश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**ORDER**

New Delhi, the 20th October, 2017

Subject: Extension in date for mandating IS 16333 (Part 3): 2016–Indian Language Support for Mobile Phones

S.O. 3404(E).—Whereas Government of India, has issued the Order for mandating Indian Language Support for Mobile Phones as per IS 16333 (Part 3): 2016, and whereas mobile handset manufactures have raised concerns with regard to compliance to the Order, and whereas to address these issues and to facilitate the industry for smooth implementation of the Order, the following notification is issued in continuation of the Order.

2. Extension in date:

The date of coming into effect of the aforesaid Order stands extended to 1st February, 2018.

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. number 2357(E), dated 3rd October, 2012 and subsequently amended *vide* S.O. 2034(E), dated 5th July, 2013, S.O. 3022(E), dated 4th October, 2013, S.O. 2905(E), dated 13th November, 2014, S.O. 345(E), dated 3rd February, 2016, S.O. 638(E), dated 10th February, 2016 and S.O. 3509(E), dated 24th October, 2016.

[F. No. 8(81)2015-IPHW]

SANJAY KUMAR RAKESH, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1346]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 5, 2018/चैत्र 15, 1940

No. 1346]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 5, 2018/CHAITRA 15, 1940

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2017

विषय : आईएस 16333 (भाग 3): 2016 मोबाइल फोन के लिए भारतीय भाषा सहयोग अनिवार्य करने के लिए तारीख में विस्तार

का.आ. 1490(अ).— जबकि भारत सरकार ने, आईएस 16333 (भाग 3): 2016 के अनुसार मोबाइल फोन के लिए भारतीय भाषा सहयोग अनिवार्य करने के लिए आदेश जारी किया है, और जबकि आईएस 16333 (भाग 3): 2017 के प्रकाशन में विलंब के कारण मोबाइल हैंडसेट निर्माताओं ने आदेश के अनुपालन के संबंध में चिंताएं व्यक्त की हैं, और जबकि इन मुद्दों का समाधान करने और आदेश के निर्विघ्न कार्यान्वयन के लिए उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए आदेश की निरंतरता क्रम में निम्नलिखित अधिसूचना जारी की जाती है।

2. तारीख बढ़ाया जाना।

उपर्युक्त आदेश के लागू बने रहने की तारीख 01 मई 2018 तक बढ़ा दी गई है।

नोट: प्रधान आदेश को भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 के का.आ. संख्या 2357(अ) के जरिए प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसमें दिनांक 5 जुलाई, 2013 के का.आ. 2034 (अ), दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 का.आ. 3022 (अ), 13 नवम्बर, 2014 के का.आ. 2905 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 2016 के का.आ. 345 (अ), दिनांक 10 फरवरी, 2016 के का.आ. 638 (अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3509 (अ) और दिनांक 29 सितम्बर, 2017 के का. आ. 8(81)2015 आईपीएचडब्ल्यू के द्वारा संशोधन किया गया था।

[फा. सं. 8(81)/2015-आईपीएचडब्ल्यू]

संजय कुमार राकेश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th March, 2018

Subject : Extension in date for mandating IS 16333 (Part 3) : 2016-Indian Language Support for Mobile Phones

S.O. 1490.(E)—Whereas Government of India, has issued the Order for mandating Indian Language Support for Mobile Phones as per IS 16333 (Part 3):2016, and whereas mobile handset manufactures have raised concerns with regard to compliance to the Order due to various reasons, and whereas to address these issues and to facilitate the industry for smooth implementation of the Order, the following notification is issued in continuation of the Order.

2. Extension in date:

The date of coming into effect of the aforesaid Order stands extended to 01st May 2018.

Note : The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. number 2357(E), dated 3rd October, 2012 and subsequently amended *vide* S.O. 2034(E) dated 5th July, 2013, S.O. 3022 (E) dated 4th October, 2013, S.O. 2905(E) dated 13th November, 2014, S.O. 345 (E) dated 3rd February, 2016, S.O. 638(E) dated 10th February, 2016, S.O. 3509(E) dated 24th October, 2016 and 8 (81)2015-IPHW dated 29th September 2017.

[F. No. 8 (81)2015-IPHW]

SANJAY KUMAR RAKESH, Jt. Secy.